

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 455]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ASADHA 13, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 658(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) ड्राइव अवे चेसिस यानों पर या तो ट्रक विनिर्माता या ट्रक निर्माता द्वारा विनिर्मित एन दो श्रेणी और एन तीन श्रेणी के माल यानों की जांच और अनुमोदन, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस – 093 (पुनरीक्षण 1) – 2015 के उपबंध दो चरणों में कार्यान्वित किए जाएंगे और पहले चरण में नीचे दी गई सारणी – 1 में सूचीबद्ध तकनीकी उपबंध 1 अक्टूबर, 2018 को और उसके पश्चात् प्रभावी होंगे तथा दूसरे चरण में एआईएस – 093 (पुनरीक्षण 1) – 2015 के उपबंध नीचे दी गई सारणी- 2 में सूचीबद्ध उपबंध 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् पहले चरण की अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रभावी होंगे तथा एआईएस – 093 (पुनरीक्षण 1) की अपेक्षाएं पूर्वोक्त यथाकथित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विशिष्टियों के अधिसूचित होने तक लागू होंगी।

सारणी – 1

पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए एआईएस – 093 (पुनरीक्षण 1) के तकनीकी उपबंध

क्र. सं.	परीक्षण/पैरामीटर की प्रकृति	एआईएस-093 के विशिष्ट खंडों की आवश्यकता (संशो.1)
1.	समग्र माप	2.1.1
2.	कैबिन के लिए बाह्य प्रक्षेपण	2.1.2
3.	ड्राइवर/सह-यात्री दरवाजा	2.1.3
4.	चढ़ने की सुविधा	2.1.4
5.	हैन्ड होल्डस	2.1.5
6.	कैब दरवाजे पर खिड़की	2.1.6
7.	ड्राइवर की सीट/सह-यात्री सीट	2.1.7
8.	सेफ्टी बेल्ट एसेम्बली और एंकरेज	2.1.8
9.	स्लीपर बर्थ	2.1.9
10.	मडगार्ड/स्प्रे सप्रेशन यंत्र	2.1.10
11.	ड्राइवर का कार्य क्षेत्र	2.1.11
12.	स्टीयरिंग व्हील	2.1.12
13.	इंस्ट्रूमेंट पैनल का स्थान	2.1.13

14.	नियंत्रण की स्थिति	2.1.14
15.	भरण स्थान	2.1.15
16.	प्रथम उपचार बॉक्स	2.1.16
17.	ट्रक कैब संरचनात्मक क्षमता	2.2.1
18.	फ्रंट अंडर रन प्रोटेक्टिव डिवाइस (एफयूपीडी)	2.2.2
19.	कैब माउंटिंग की व्यवस्था और क्षमता आवश्यकताएं	2.2.3
20.	पार्श्व टक्कर की घटना में अधिभोक्ता का संरक्षण	2.2.4
21.	लाइटिंग और सिगलिंग उपकरणों की संस्थापन आवश्यकता (डिप्ड बीम के वर्टिकल ओरिएंटेशन को छोड़कर)	2.2.5
22.	पश्च दृश्य मिरर	2.2.6
23.	ड्राइवर का कार्य क्षेत्र	2.2.7
24.	दरवाजे के ताले और कब्जे	2.2.8
25.	खिड़की	2.2.9
26.	विंड स्क्रीन और विंड स्क्रीन वाईपिंग सिस्टम	2.2.11
27.	अग्नि शामक	2.2.12
28.	कैब और बॉडी में अंतराल	3.2.2
29.	भरण स्थान/माल वाहक	3.2.3
30.	मडगार्ड/स्प्रे सप्लेशन यंत्र	3.2.4
31.	भार के अंतरण की तुलना में माल वाहन पावर-ड्राइवेन वाहनों के अधिभोक्ताओं का संरक्षण	3.4.1
32.	भारी और लंबे वाहनों की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव मार्किंग्स	3.4.5
33.	पार्श्व संरक्षात्मक उपकरण	3.4.6
34.	फ्रंट अंडर रन प्रोटेक्टिव डिवाइस (एफयूपीडी)	3.4.7
35.	आंतरिक लाइटिंग	4.1.2
36.	रोशनी उपकरणों की स्थिति	4.1.3
37.	ड्राइवर कैब की लाइटिंग	4.2
38.	इलैक्ट्रिकल केबल	4.3.1
39.	फ्यूज	4.3.2
40.	टर्मिनल्स, कनेक्टर्स और ऐलिमेंट्स	4.3.3
41.	सुरक्षा आवश्यकताएं	4.4
42.	बैट्रीज़	4.5
43.	आधार वाहनों के लिए तकनीकी प्रावधान	5.3
44.	क्लास लेबल्स के प्रदर्शन का तरीका और पहचान चिह्न	5.5

सारणी-2

सारणी 1 के साथ दूसरे चरण में कार्यान्वयन के लिए एआईएस - 093 (पुनरीक्षण 1) के तकनीकी उपबंध

क्र. सं.	परीक्षण/पैरामीटर की प्रकृति	एआईएस-093 के विशिष्ट खंडों की आवश्यकता (संशो.1)
1.	ट्रक भार बॉडी का वर्गीकरण	3.1
2.	सामान्य आवश्यकताएं	3.2
3.	समग्र माप	3.2.1
4.	रोप हुक्स और अन्य प्रावधान	3.2.5
5.	कार्यकरण की स्थिरता	3.3.1
6.	वाणिज्यिक वाहनों की बॉडी माउंटिंग अथवा भार प्लेटफार्म	3.3.2
7.	बॉडी निर्माण आवश्यकताएं	3.3.3
8.	भार बॉडी के संबंध में भार की सुरक्षा	3.4.2
9.	बाह्य प्रक्षेपण	3.4.3
10.	लाइटिंग और सिग्नेलिंग उपकरणों की संस्थापन आवश्यकता (डिप्ड बीम के वर्टिकल ओरिएंटेशन को छोड़कर)	3.4.4
11.	बाह्य लाइटिंग	4.1.1
12.	लैम्प एसेंबलिंग के लिए बल्बों का प्रकार	4.1.4
13.	बॉडी के लिए तकनीकी प्रावधान	5.4
14.	कंटेनर के आकार प्रयोजन और आकार संहिता	6.4
15.	भार के भंडारण हेतु सिफारिशें	6.5
16.	ट्रिबल लॉक	6.6
17.	कंटेनर सुरक्षा प्रबंधन	6.7
18.	सब-फ्रेम और बॉडी की संबद्धता	6.8
19.	टैंकर माउंटिंग	6.9
20.	स्थिरता मापदंड	7.5
21.	वाहन के प्रकार का संशोधन और अनुमोदन का विस्तार	7.6
22.	रोल ओवर स्थिरता/टिल्ट टेबल टेस्ट प्रक्रिया	अनुलग्नक - 1
23.	पार्श्व स्थिरता की गणना	अनुलग्नक - 2

परंतु एन 2 और एन 3 श्रेणी के सभी यानों को केबिन के लिए यान विनिर्माता द्वारा तारीख 1.10.2017 के प्रभाव से केबिन के निर्माण के समय बाड़ी निर्माता द्वारा एक मानक सुसज्जा के रूप में यान विनिर्माता द्वारा एक वातानुकूलित प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा”।

[फा. सं. आरटी-11028/02/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं0(अ), तारीख द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2016

G.S.R. 658(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period as specified will be considered by the Central Government.

The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (----- Amendment) Rules, 2016.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, for sub-rule (3), substitute the existing text, with the following, namely:-

“(3) The testing and approval of goods vehicles of category N2 and N3, either manufactured by a Truck manufacturer or a Truck Builder on drive away chassis vehicles, the provisions of AIS-093 (Rev. 1)-2015, as amended from time to time, shall be implemented in two phases and in the first phase, the technical provisions listed in Table-1 below, shall be effective on and after 1st day of October 2018 and in the second phase, the provisions of AIS 093 (Rev. 1) – 2015, listed in Table - 2 below, shall be effective on and after 1st day of October 2019 in addition to the first phase requirements and the requirements of AIS 093 (Rev. 1), shall be applicable, as stated above, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

Table -1

Technical Provisions of AIS: 093 (Rev-1) for implementation in first phase

Sr. No.	Nature of Test / Parameters	Requirements of Specific Clauses of AIS-093 (Rev.1)
1	Overall Dimensions	2.1.1
2	External Projections for cabin	2.1.2
3	Driver / Co-passenger Door	2.1.3
4	Climb Facility	2.1.4
5	Hand Holds	2.1.5
6	Window on Cab Door	2.1.6
7	Driver Seat /Co passenger seat	2.1.7
8	Safety Belt Assemblies and Anchorages	2.1.8
9	Sleeper Berth	2.1.9
10	Mudguards / Spray suppression devices	2.1.10
11	Driver Work Area	2.1.11
12	Steering Wheel	2.1.12
13	Placement of Instrument Panel	2.1.13
14	Position of Controls	2.1.14
15	Stowage Space	2.1.15
16	First Aid Box	2.1.16
17	Truck Cab Structural Strength	2.2.1
18	Front Under run Protective Device (FUPD)	2.2.2
19	Cab Mounting Arrangement and Strength Requirements	2.2.3
20	Protection of the Occupants in the Event of a Lateral Collision	2.2.4
21	Installation requirements for Lighting & Signaling devices (except for the vertical orientation of the dipped beam)	2.2.5
22	Rear view mirror	2.2.6
23	Driver's Work Area	2.2.7
24	Door Locks & Hinges	2.2.8
25	Window	2.2.9
26	Wind Screen and Wind Screen Wiping System	2.2.11
27	Fire extinguishers	2.2.12
28	Cab and Body gap	3.2.2
29	Stowage Space/ Luggage Carrier	3.2.3
30	Mudguards / Spray Suppression Devices	3.2.4
31	Protection of the Occupants of Goods-carrying Power-driven Vehicles against the Shifting of Loads	3.4.1
32	Retro-Reflective Markings for Heavy and Long Vehicles	3.4.5
33	Lateral Protective device	3.4.6
34	Rear Under run Protective Device (RUPD)	3.4.7
35	Internal Lighting	4.1.2
36	Position of illumination devices	4.1.3
37	Driver Cab lighting	4.2
38	Electrical cables	4.3.1
39	Fuse	4.3.2
40	Terminals, Connectors and Elements	4.3.3
41	Safety requirements	4.4
42	Batteries	4.5
43	Technical Provisions for Base Vehicles	5.3
44	Manner of Display of Class Labels and Identification Marks	5.5

Table -2

**Technical Provisions of AIS: 093 (Rev-1) for implementation in second phase along
With Table 1**

Sr. No.	Nature of Test / Parameters	Requirements of Specific Clauses of AIS-093 (Rev.1)
1.	Categorization of Truck Load Bodies	3.1
2.	General Requirements	3.2
3.	Overall Dimensions	3.2.1
4.	Rope Hooks and other Provisions	3.2.5
5.	Working Stability	3.3.1
6.	Mounting of the Body or Load Platform of Commercial Vehicles	3.3.2
7.	Body Construction requirements	3.3.3
8.	Securing the Load on the Load body	3.4.2
9.	External Projection	3.4.3
10.	Installation requirements for Lighting & Signaling devices (except for the vertical orientation of the dipped beam)	3.4.4
11.	External Lighting	4.1.1
12.	Type of Bulbs for lamp Assemblies	4.1.4
13.	Technical Provisions for Bodies	5.4
14.	Container Size Designations and Sizes Codes	6.4
15.	Recommendations for Stacking of Load	6.5
16.	Twist Locks	6.6
17.	Container securing arrangements	6.7
18.	Attaching Sub-frames and Bodies	6.8
19.	Tanker Mounting	6.9
20.	Stability Criteria	7.5
21.	Modification of the Vehicle Type and Extension of Approval	7.6
22.	Roll Over Stability / Tilt Table Test Procedure	Annexure - 1
23.	Lateral Stability Calculation	Annexure - 2

Provided that all N2 and N3 category of vehicles shall be fitted with an air-conditioning system for the cabin, by the vehicle manufacturer as a standard fitment or by the body builder at the time of cab building, w.e.f. 01-10-2017”.

[F. No. RT-11028/02/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. _____ dated _____.